आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

29.12.2018

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ,राजमहल।
नामांतरण अपील वाद सं0– 13/17–18
मो0 सलीम शेख वगै0
बनाम
शैलेश प्रसाद श्रीवास्तव
आदेश

यह नामांतरण अपील वाद आवेदन आवेदक मो0 सलीम शेख, पिता– स्व0 अब्दुल गफुर, एवं अन्य, सा0– कासीमबाजार, राजमहल, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 997/2014–15 में दिनांक 03.12.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गई है। साथ ही कालक्षंति आवेदन दाखिल की गयी है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 19.02.2018 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

इस नामांतरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी:–

मौजा	खाता सं0	दाग सं0	रकवा
मैनातालाब	49/18	81	00–07–05

उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी की ओर से लिखित बहस एवं सूचीबद्ध कागजात दाखिल की गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा मैनातालाब, जमाबंदी नं0– 49/18, दाग नं0– 81, रकवा 07 कट्ठा 05 धूर जमीन के संबंध में उत्तरवादी के द्वारा वर्ष 2014 में नामांतरण वाद दायर किया गया था। अपीलार्थी की ओर से दिनांक 29.12.2018 को लिखित बहस दाखिल की गई है। उन्होंने अपने लिखित बहस के माध्यम से सूचित किया है कि उत्तरवादी के दादा यदुनाथ लाल के द्वारा जाली दस्तावेज सं0 2365/1957 के द्वारा क्रय किया गया है। साथ में यह भी कहना है कि अगर उत्तरवादी के दादा यदुनाथ लाला के द्वारा वर्ष 1957 में जमीन क्रय की गई थी तो उत्तरवादी के दादा एवं पिता के जीवनकाल में ही नामांतरण क्यों नहीं कराये। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि उत्तरवादी के दादा यदुनाथ लाला के दो पुत्र यथा मनीन्द्र नाथ वर्मा एवं राजेन्द्र प्रसाद वर्मा के बीच सभी सम्पत्ति का बंटवारा किये जबकि संबंधित नामांतरित जमीन का नहीं। अंत में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि संबंधित जमीन पर अपीलार्थी शांतिपूर्वक भोग–दखल में हैं। जो नामांतरण का मुख्य criteria है। उक्त जमीन पर आजतक कभी भी उत्तरवादी भोग–दखल में नहीं रहा है। फलस्वरूप अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा किया गया नामांतरण पूर्णतः गलत है।

अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल नामांतरण अपील वाद सं0 997/2014–15 को अपास्त (Set-a-side) करने का अनुरोध किया गया है।

Aki
Rah

,Rajmahal,P.S.Rajmahal,Dt.Sahib

Scanned with CamScanner

आज उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.12.2018 को सूचीबद्ध कागजात समर्पित किया गया, जो निम्न हैः–

1. निबंधित केवाला सं0 2365/51, दिनांक 22.11.1951 की छाया प्रति।
2. गेंजर सेटलमेंट पर्चा मौजा मैनातालाब जमाबंदी नं0– 48/18 रकवा 07 कट्ठा 05 धूर, जो शेख अलीमुद्दीन के नाम से है की छाया प्रति।
3. माल गुजारी रसीद मौजा मैनातालाब, शैलेश प्रसाद श्रीवास्तव दीगर, जमाबंदी नं0– 49/18 की छाया प्रति।
4. मालगुजारी रसीद मौजा मैनातालाब जमाबंदी नं0– 49/18 शैलेश प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ वरूण दीगर की छाया प्रति।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बयान के माध्यम से सूचित किया है कि अपीलार्थी को नामांतरण अपीलवाद में आदेश पारित आदेश की तिथि से 30 दिनों में दायर करना चाहिए था, जबकि उनके द्वारा नामांतरण अपील वाद 03 वर्ष 01 माह बाद दायर किया गया है। अतएव वाद को रद्द किया जाय। साथ ही उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सूचित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने दाखिल आवेदन के पार्ट 1 में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा वर्ष 1966–67 तक लगान अदा किया गया है। वर्ष 1967 के बाद क्यों नहीं। साथ ही उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा जमाबंदी रैयत का नाम शेख अलीमुल्ला जबकि वास्तव में जमाबंदी रैयत का नाम डॉ0 शेख अलमुल्ला है। साथ ही जमाबंदी रैयत की तीन पत्नी है, इसका उल्लेख अपीलार्थी के आवेदन में उल्लेख वंशावली में नहीं दर्शाया गया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि मौजा मैनातालाब, जमाबंदी नं0– 49/18, दाग नं0– 81, रकवा 07 कट्ठा 05 धूर जमीन शेख मनीरूद्दीन, पिता– स्व0 शेख अलीमुल्ला से यदुनाथ लाला ने निबंधित केवाला सं0 2365/51 दिनांक 22.11.1951 द्वारा क्रय किया गया है। न कि निबंधित बिक्री केवाला सं0 2365/57 के द्वारा। साथ ही यह भी सूचित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन पर चाहरदीवारी का निर्माण किया गया है तथा विक्रेता स्व0 यदुनाथ लाल के वर्तमान वंशज को पक्षकार बनाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है।

अतः उत्तरवादी की प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 997/2014–15 में दिनांक 03.12.2014 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी के द्वारा दायर नामांतरण अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, राजमहल से मूल अभिलेख प्राप्त। नामांतरण वाद सं0 997/2014–15 के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आते हैं। हल्का कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये है कि आवेदित जमीन का मिलान खतियान एवं पंजी II से किया, जो सही है। आवेदित जमीन रैयती है। आवेदकगण के स्वर्गीय पिता ने जमाबंदी रैयत के पुत्र से केवाला सं0 2365, दिनांक 22.11.1957 के द्वारा खरीदकर शांतिपूर्वक दखल कब्जे में है। अंचल निरीक्षक ने उक्त प्रतिवेदन को सत्यापित एवं अनुशंसा किये हैं। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजमहल ने आवेदकगण शैलेश प्रसाद श्रीवास्तव व अन्य के नाम से नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की है।

Scanned with CamScanner

दोनों पक्षों द्वारा दाखिल कागजात एवं बहस को सुनने एवं सम्यक विचारोपरांत यह प्रतीत होता है कि वाद मुख्यतः डीड की सत्यता पर आधारित है। यह न्यायालय डीड की सत्यता पर निर्णय करने में सक्षम नहीं है।

अंचल अधिकारी, राजमहल द्वारा दाखिल LCR का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि नामांतरण वाद की शुरूआत के बाद निर्गत 16 आना रैयत को नोटिश में केवल 04 (चार) व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं। जिन 04 हस्ताक्षरों के आधार पर तामिला दिखाया गया है, उनमें से 02 (दो) व्यक्ति नामांतरण वाद में आवेदक है। पंजी II जमाबंदी रैयत के नाम से कायम है, परंतु जमाबंदी रैयत के किसी भी वारिस को नोटिश निर्गत नहीं किया गया है।

सभी कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि Bihar Tenants Holding (Maintanance of records) Act 1973 की धारा 14(2) में दी गयी प्रक्रिया का पूर्णतः पालन नहीं हुआ है। अतः अंचल अधिकारी, राजमहल के आदेश को निरस्त/अपास्त (Set-a-side) किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल।

Scanned with CamScanner